

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण।

तारीख पेशी : 22-11-2025

संजू कुमार पुत्र पूरण बहादुर, निवासी गांव कटयाड, डाकघर फरेड, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी संजू कुमार पुत्र पूरण बहादुर, निवासी गांव कटयाड, डाकघर फरेड, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म कटयाड, डाकघर फरेड में दिनांक 15-05-1989 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत फरेड के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है। अतः मेरे जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के जन्म पंजीकरण को ग्राम पंचायत फरेड के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी संजू कुमार पुत्र पूरण बहादुर की जन्म तिथि 15-05-1989 के आदेश ग्राम पंचायत फरेड के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 28-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।

तारीख पेशी : 27-11-2025

अमीं चन्द पुत्र पंछी राम पुत्र बाला, निवासी फस्टा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी अमीं चन्द पुत्र पंछी राम पुत्र बाला, निवासी फस्टा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र व अन्य दस्तावेज आदि प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थी का सही नाम अमीं चन्द पुत्र पंछी राम है। जबकि महाल सिहोटू बूहला के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सहवन मान चन्द पुत्र पंछी राम दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः महाल सिहोटू बूहला के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती की जाकर मान चन्द उपनाम अमीं चन्द पुत्र पंछी राम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस इशतहार राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-11-2025 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण।

तारीख पेशी : 20-11-2025

सन्तोष कुमारी पुत्री बैनी प्रसाद, निवासी गांव व डाकघर कुरल हाल पत्नी स्व0 मनजीत कुमार,
निवासी गांव ठिरक, डाकघर काहनपट्ट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थिया सन्तोष कुमारी पुत्री बैनी प्रसाद, निवासी गांव व डाकघर कुरल हाल पत्नी स्व0 मनजीत कुमार, निवासी गांव ठिरक, डाकघर काहनपट्ट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म गांव कुरल में दिनांक 10-07-1978 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कुरल के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है। अतः मेरे जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण को ग्राम पंचायत कुरल के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया सन्तोष कुमारी पुत्र बैनी प्रसाद की जन्म तिथि

10-07-1978 के आदेश ग्राम पंचायत कुरल के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 28-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।

तारीख पेशी : 22-11-2025

नसीब कुमार पुत्र लोहलू राम, निवासी वार्ड नं0 2, धोरन खास, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी नसीब कुमार पुत्र लोहलू राम, निवासी वार्ड नं0 2, धोरन खास, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र व अन्य दस्तावेज आदि प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थी का सही नाम नसीब कुमार पुत्र लोहलू राम है। जबकि महाल धोरन खास के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सहवन सीता राम पुत्र लोहलू राम दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः महाल धोरन खास के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती की जाकर सीता राम उपनाम नसीब कुमार पुत्र लोहलू राम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2025 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 17/ना/2025

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 26-12-2025

अनीता देवी पुत्री श्री मसेडू राम पुत्र सुजू राम, गांव जरयाल लाहड़, डाकघर हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

इश्तहार मुश्री मुनादी।

अनीता देवी पुत्री श्री मसेडू राम पुत्र सुजू राम, गांव जरयाल लाहड़, डाकघर हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अधिवक्ता श्री अश्वनी कटोच के माध्यम से पेश होकर प्रार्थना-पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 23-08-1974 को गांव जरयाल लाहड़, डाकघर हरोट, ग्राम पंचायत हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है, इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घर वालों ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत हरोट के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत हरोट को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त अनीता देवी पुत्री श्री मसेडू राम पुत्र सुजू राम, गांव जरयाल लाहड़, डाकघर हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जन्म तिथि 23-08-1974 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव हरोट को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 03-11-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 :

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 08-12-2025

सुजाद सिंह पुत्र श्री वेलू राम, निवासी गांव व डाकघर महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम दुरुस्त करके शहजादा सिंह पुत्र वेलू पुत्र श्री दुनियां के बजाए सुजाद सिंह पुत्र श्री वेलू राम पुत्र श्री दुनियां दर्ज करने बारे।

सुजाद सिंह पुत्र श्री वेलू राम, निवासी गांव व डाकघर महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल पानसुआ व कुंसल वुहली, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम शहजादा सिंह पुत्र वेलू पुत्र श्री दुनियां दर्ज है जबकि प्रार्थी व उसके पिता का असल नाम सुजाद सिंह पुत्र श्री वेलू राम पुत्र श्री दुनियां है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके सुजाद सिंह पुत्र श्री वेलू राम पुत्र श्री दुनियां किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-12-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 :

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 08-12-2025

शेर सिंह पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव व डाकघर कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके शंकरु पुत्र राम दयाल के बजाए शंकर दास पुत्र राम दयाल दर्ज करने बारे।

शेर सिंह पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव व डाकघर कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल मलेहड़, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम शंकरु पुत्र राम दयाल दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का असल नाम शंकर दास पुत्र श्री राम दयाल है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके शंकर दास पुत्र श्री राम दयाल किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-12-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में

असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रतिवादीगण :

1. श्रीमती योगिता पत्नी स्व0 श्री अश्वनी कुमार, 2. श्रीमती रेनू पुत्री नन्द किशोर, 3. श्रीमती अनु पुत्री स्वतन्त्रता डोगरा, 4. श्रीमती सुनीता पुत्री स्वतन्त्रता डोगरा, 5. श्रीमती प्रीती पुत्री स्वतन्त्रता डोगरा, 6. श्री पुनीत कुमार पुत्र स्वतन्त्रता।

बनाम

आम जनता

विषय.—इन्तकाल नं0 471 महाल बाडी खास, पटवार वृत्त धमेटा व इन्तकाल नं0 320, महाल अनोह धमेटा, पटवार वृत्त दियाल तस्दीक करने बारे।

उक्त वारसान हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 के तहत बने हैं जिन्हें इत्तलाह साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अतः इन उपरोक्त वारसान को इस इश्तहार प्रकाशन करवा कर सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त इन्तकाल बारे दिनांक 29-11-2025 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रखें। अन्यथा एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(दीपक शर्मा),
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

दर्शन सिंह पुत्र कर्म चन्द, निवासी गांव जखाडा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जखाडा में मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

सपना देवी पुत्री रतन सिंह, निवासी गांव भाटी मिन्हासा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत जखाडा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपने पिता कर्म चन्द की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 15-05-1984 को हुई थी, परन्तु ग्राम पंचायत जखाडा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में मृत्यु तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई। इसलिए अब ग्राम पंचायत जखाडा की मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के पिता की मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-11-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी के पिता की मृत्यु पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 30-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

वचनो देवी पुत्री मेहर सिंह, निवासी गांव नंगाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नंगाल में जन्म पंजीकरण रजिस्टर करने बारे।

वचनो देवी पुत्री मेहर सिंह, निवासी गांव नंगाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत नंगाल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1967 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत नंगाल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई। इसलिए अब ग्राम पंचायत नंगाल को जन्म पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया उक्त के नाम व जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-11-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया का नाम पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 30-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
